

बिहार विधान सभा सचिवालय

**सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2025**

की

कार्य-सूची

**वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव**

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1034,43,92,000** /- (एक हजार चौतीस करोड़ तैतालीस लाख बानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2.-4. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **439,05,49,000** /- (चार सौ उनचालीस करोड़ पाँच लाख उनचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 6.-7. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

8. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1815,18,75,000** /- (एक हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 9.-11. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **540,98,96,000 /-** (पांच सौ चालीस करोड़ अठानवे लाख छियानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक- निर्वाचन विभाग

13. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **228,44,16,000 /-** (दो सौ अट्ठाईस करोड़ चौवालीस लाख सोलह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

14. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,46,50,000 /-** (एक करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

15. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **94,67,000 /-** (चौरानवे लाख सड़सठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

16. श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

17. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **104,14,89,000** /- (एक सौ चार करोड़ चौदह लाख नवासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

18. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

19. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3192,35,70,000** /- (तीन हजार एक सौ बानवे करोड़ पैंतीस लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 20.-22 श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

23. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **399,67,07,000** /- (तीन सौ निन्यानवे करोड़ सड़सठ लाख सात हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

24. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **9670,12,75,000/-** (नौ हजार छः सौ सत्तर करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

25. श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

26. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **852,29,53,000 /-** (आठ सौ बावन करोड़ उनतीस लाख तिरपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 27.-29. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

30. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **687,86,81,000 /-** (छः सौ सत्तासी करोड़ छियासी लाख इक्यासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

31. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

32. **प्रभारी मंत्री**, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **150,97,94,000 /-** (एक सौ पचास करोड़ सतानवे लाख चौरानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

33. **प्रभारी मंत्री**, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3228,90,70,000 /-** (तीन हजार दो सौ अठ्ठाईस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 34.-35. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

36. **प्रभारी मंत्री**, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **12095,48,72,000 /-** (बारह हजार पंचानवे करोड़ अड़तालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 37.-38. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

39. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **375,22,02,000** /- (तीन सौ पचहत्तर करोड़ बाईस लाख दो हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

40. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1306,46,73,000** /- (एक हजार तीन सौ छः करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 41-42. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-24

आय-व्ययक शीर्षक- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

43. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **66,55,41,000** /- (छियासठ करोड़ पचपन लाख इकतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक- सूचना प्रावैधिकी विभाग

44. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **72,90,00,000** /- (बहत्तर करोड़ नब्बे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

45. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

46. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त विभाग **530,19,94,000** /- (पांच सौ तीस करोड़ उन्नीस लाख चौरानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

47. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

48. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **26,74,71,000** /- (छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख इकहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-29

आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग

49. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,000** /- (एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

50. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की खान एवं भूतत्व नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

51. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “अल्पसंख्यक कल्याण विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **19,28,02,000** /- (उन्नीस करोड़ अट्ठाईस लाख दो हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

52. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “विधान मंडल” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **20,30,00,000** /- (बीस करोड़ तीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

53. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “सामान्य प्रशासन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **30,73,14,000** /- (तीस करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

54. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “योजना एवं विकास विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **157,59,56,000** /- (एक सौ सत्तावन करोड़ उनसठ लाख छप्पन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

55. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **197,91,26,000/-** (एक सौ संतानवे करोड़ इक्यानवे लाख छब्बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

56. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

57. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1807,41,34,000 /-** (एक हजार आठ सौ सात करोड़ इक्तालीस लाख चौतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 58.-59. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

60. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **116,29,70,000 /-** (एक सौ सोलह करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

61. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “आपदा प्रबंधन विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **120,53,94,000/-** (एक सौ बीस करोड़ तिरपन लाख चौरानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

62. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **471,16,48,000 /-** (चार सौ इकहत्तर करोड़ सोलह लाख अड़तालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

63. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

64. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “पथ निर्माण विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1200,00,00,000/-** (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 65.-66. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

67. **प्रभारी मंत्री**, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2169,99,05,000** /- (दो हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख पाँच हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 68-69. **श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

70. **प्रभारी मंत्री**, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **6,42,97,000** /- (छः करोड़ बयालीस लाख सतानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

71. **प्रभारी मंत्री**, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **61,43,06,000** /- (इकसठ करोड़ तैतालीस लाख छः हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

72. **प्रभारी मंत्री**, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **71,50,00,000/-** (इकहत्तर करोड़ पचास लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

73. **प्रभारी मंत्री**, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **40,00,00,000/-** (चालीस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक- परिवहन विभाग

74. **प्रभारी मंत्री**, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **16,17,00,000 /-** (सोलह करोड़ सत्रह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

75. **प्रभारी मंत्री**, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध **2860,85,22,000 /-** (दो हजार आठ सौ साठ करोड़ पच्चासी लाख बाईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 76-77. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

78. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1407,56,54,000/-** (एक हजार चार सौ सात करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 79-80. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

81. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **90,00,00,000 /-** (नब्बे करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

82. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **10194,02,75,000 /-** (दस हजार एक सौ चौरानवे करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

83. श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-52
आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

84. **प्रभारी मंत्री**, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त **61,63,50,000 /-** (इकसठ करोड़ तिरैसठ लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-07/2025- 1781

/वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2025 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

For **युगम (सिंह)**
(अनुपमा प्रसाद) 23/07/25

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-07/2025- 1781

/वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2025 ई० ।

प्रति:-निदेशक अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।

For **युगम (सिंह)**
(अनुपमा प्रसाद) 23/07/25

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-07/2025- 1781

/वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2025 ई० ।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पंच प्रतिष्ठों में) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

For **युगम (सिंह)**
(अनुपमा प्रसाद) 23/07/25

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

इस्तिथाक
23/7/25